

## समाचार

### कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर 15600 रु. अर्थदण्ड (मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर कार्यवाही लगातार जारी)



कोरबा 10 अप्रैल 2021 —मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर निगम की कार्यवाही निरंतर जारी रही, आज निगम अमले ने 15600 रुपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोरोना प्रोटोकाल को न तोड़े।

कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से प्रसार हो रहा है तथा संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शासन प्रशासन द्वारा इस पर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं तथा लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने, घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने एवं कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने की अपील विभिन्न माध्यमों से लगातार की जा रही है, इसके साथ ही निगम अमले द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है, किन्तु अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रही है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देशों के तहत निगम द्वारा आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में सघन अभियान चलाते हुए कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर कार्यवाही की जा रही है तथा अर्थदण्ड लगाने के साथ ही अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है कि वे कोरोना प्रोटोकाल को गंभीरता से लें तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज भी यह कार्यवाही जारी रही तथा निगम के सभी जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 15600 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत में 4000 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 4000 रुपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1400 रुपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1600 रुपये, बालको जोनांतर्गत 1500 रुपये, दर्री जोनांतर्गत 1800 रुपये, बांकीमांगरा जोनांतर्गत 500 रुपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 800 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

**निर्धारित समय बाद दुकान खुली रखने पर लगा अर्थदण्ड—** निगम के आठों जोन में स्थित दुकानें आज निर्धारित समय पर बंद कराई गईं। जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में निगम का जोन अमला दुकानों, बाजारों को समय पर बंद कराने में जुटा रहा तथा दुकानें समय पर बंद हुईं। वहीं कोरबा जोनांतर्गत रानी रोड इतवारी बाजार स्थित जयकिसान बीज भण्डार को निर्धारित समय के बाद भी खोल रखा गया था, जिस पर निगम अमले ने 2000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया तथा दुकान को बंद कराया।

